



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2019/ज्येष्ठ 6, 1941

No. 175]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2019/ JYAISTHA 6, 1941

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

### मसौदा अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2019

सं. एन-12/13/1/2019-यो.एवं.वि.—भारत का असाधारण राजपत्र [भाग II खंड 3(i)] दिनांक 04 अगस्त 2010 में सा.का.नि. 654(अ) द्वारा यथाअधिसूचित “अन्य लाभार्थी तथा उनके परिवार के सदस्य चिकित्सा सेवाएं योजना 2010” के उप-पैरा 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 73घ में संदर्भित प्रयोक्ता प्रभार की दर तथा योजना का अन्य विवरण अधिसूचित करते हैं, केन्द्रीय सरकार ने गैर-बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा अल्प उपयोग क.रा.बी.नि. अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता को क.रा.बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 73-ख के अंतर्गत निर्मित “अन्य लाभार्थी तथा उनके परिवार के सदस्य चिकित्सा सेवाएं योजना 2010” में अन्य लाभार्थी के रूप में अनुमोदन प्रदान किया है।

1. बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) परामर्श रु. 10/- (दस रुपये मात्र) प्रति परामर्श की दर से।
2. आंतरिक रोगी विभाग (आइपीडी) शहर के लिए लागू केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) पैकेज दर के 25% (पच्चीस प्रतिशत) (यदि उपलब्ध नहीं तो, निकटतम शहर तथा राज्य की दर) पर लागू।
3. औषधि वास्तविक दर पर प्रदान (यदि उपलब्ध है) की जाएगी।
4. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यून उपयोगी अस्पताल, क.रा.बी.निगम अस्पताल, होगा जहां पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान बिस्तर अधिभोग 60% से कम है।
5. अल्प उपयोग अस्पतालों के तथा उनकी नाम/कार्यात्मक कार्यरिती जैसा कि महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएगी।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से जो आपत्तियां या सुझाव प्राप्त होंगे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उन पर विचार किया जाएगा। आपत्तियां तथा सुझाव, यदि कोई हों, श्री एस. रविचंद्रन, अपर आयुक्त (यो. एवं वि.) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002 (Email: [dir-pnd@esic.nic.in](mailto:dir-pnd@esic.nic.in)) को संबोधित किए जाएं।

एस. रविचंद्रन, अपर आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./60/19]

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

### DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2019

**No. N-12/13/1/2019-P&D.**—In exercise of the powers conferred under Sub-para 6 of the “Other beneficiaries and members of their families medical facilities scheme 2010” as notified vide GSR 654(E) in the Gazette of India Extraordinary [Part II Section 3(i)] dated 04<sup>th</sup> August 2010, the Director General, Employees' State Insurance Corporation hereby notifies the rate of user charges and other details of the scheme referred to in Section 73 D of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) as the Central Government has approved the availment of medical services in the under-utilised ESIC Hospital by Non-Insured Persons as other beneficiaries in the “Other Beneficiaries and Members of Their Families Medical Facilities Scheme 2010” framed under Section 73-B of the ESI Act, 1948.

1. Out-Patient Department (OPD) Consultation at the rate of Rs 10/-(Rupees Ten Only) per consultation.
2. In-Patient Department(IPD) care at the rate of 25% (Twenty Five percent) rates of Central Government Health Scheme(CGHS) packaged rates applicable for the city (If not available the rate of the neighboring city or the State).
3. Medicines shall be provided (if available) at the actual cost.
4. An under-utilised Hospital for the purpose of this notification shall be the ESIC Hospital where the bed occupancy is less than 60 % during the last two financial years.
5. The name of under-utilised hospitals and their operational modalities shall be as specified by Director General from time to time.

Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of this notification within a period of 30 days from the date of publication, will be considered by the Employees' State Insurance Corporation. The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri S. Ravichandran, Addl. Commissioner (P&D), Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi – 110 002 (e.mail: [dir-pnd@esic.nic.in](mailto:dir-pnd@esic.nic.in)).

S. RAVICHANDRAN, Addl. Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./60/19]